वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", न्यायाधीश, अमर उजाला,हिन्दुस्तान,आज,ज्ञानशिखा टाइम्स,राष्ट्रीय सहारा, परफेक्ट मिशन" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 25.07.2024

बनारस कोठी, रिवर पैलेस में न कराएं बुकिंग, जल्द ढहेंगे

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने महायोजना 2031 के खिलाफ और वरुणा के ग्रीन बेल्ट में बने अवैध होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस को खाली करने और बुकिंग न करने का अंतिम नोटिस बुधवार को थमाया है। होटल पर नोटिस चस्पा भी किया गया है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जनता से अपील की है कि इन होटलों में न बुकिंग कराएं और न ठहरें। इनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है।

अवैध होटल बनारस कोठी पर नोटिस चस्पा करते वीडीए के कर्मचारी। स्रोत : वीडीए

वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार, सिकरौल वार्ड के बुद्ध बिहार कॉलोनी में मोहम्मद जाफर अली खां ने बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस का निर्माण कराया है। दोनों निर्माण वीडीए से बगैर नक्शा पास कराया गया है। दोनों का व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है।

आदेश के खिलाफ अदालत में अपील की गई थी। अदालत और शासन से भी निर्माणकर्ता को राहत नहीं मिली है। होटल संचालक की ओर से पर्यटकों को उकसा कर उन्हें आगे कर प्रदर्शन की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है।

वीडीए की ओर से 2018 और 2024 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह निर्माण वाराणसी महायोजना-2031 के नियत भू-प्रयोग के खिलाफ किया गया है। अनधिकृत रूप से निर्मित दोनों होटलों के बिजली व पानी कनेक्शन काट दिए गए हैं।

अमर उजाला –दि0 25.07.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने आवेदक को वापस दिलाई राशि

वाराणसी। लालपुर आवासीय योजना में भूखंड नीलामी के लिए सांधना पांडेय ने पंजीकरण की धनराशि जमा की थी। भूखंड आवंटित न होने पर विभाग की ओर से धनराशि वापसी के लिए आवेदक से बैंक खाता नंबर मांगा गया। आवेदक ने गलत बैंक खाता नंबर दे दिया। 1.50 लाख धनराशि वीडीए ने दूसरे के खाते में जमा करा दी। आवेदक ने अपनी धनराशि मांगी तो पता चला कि वह दूसरे खाते में चली गई है। आवेदक ने वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग से गुहार लगाई। आवेदक ने उन्हें धन्यवाद दिया। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 25.07.2024

18 बीघे की चार अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को चार जगहों पर 18 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। साथ ही एक अवैध निर्माण सील किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, सारनाथ वार्ड के चोलापुर इटवा में बगैर ले आउट स्वीकृत मुकेश पटेल, रमेश पटेल व अन्य 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित कर रहे थे। जिसे पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया। मुगलसराय वार्ड के मवईकला में अज्ञात की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसी प्रकार कुंडा में 3 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। दोनों को ध्वस्त कराया गया। परमानंदपुर में आलोक सिंह की ओर से 4 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। सिंधुनगर में सुनील कुमार और कृष्ण कुमार निर्माण करा रहे थे। ब्यूरो

आज –दि0 25.07.2024

विप्रा उपाध्यक्ष की कड़ाई से आवंटी को मिला डूबा धन

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के हस्तक्षेप से एक आवंटी को डूबा धन वापस मिल सका। एक आवंटी ने लालपुर आवासीय योजना के तहत भूखण्ड का पंजीकरण कराया था उसने जिस खाते में एक लाख ५० हजार जमा किया था वह गलती से दूसरे के खाते में चला गया। बार-बार कहने पर खातेदार हीलाहवाली कर रहा था। विप्रा उपाध्यक्ष ने खातेदार से कड़ाई से बात की उसके बाद आवंटी का धन उसके खाते में वापस चला गया। जिसको लेकर विप्रा गलियारे में चर्चा का विषय है।

आज—दि0 25.07.2024

१७ बीघा जमीन की प्लाटिंग पर चली जेसीबी, सिंधुनगर में भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-२ सारनाथ मौजा-इटवा पर मुकेश पटेल और रमेश पटेल कास्ताकारों ने पांच बीघा पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय अवर अभियंता मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिकायत की पुष्टि की। इसके बाद विप्रा के अभियंताओं, पुलिस और प्रवर्तन दल ने जमीन पर हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मुगलसराय मौजा-मवई कला में ले आऊट स्वीकृत कराये पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। इसी प्रकार मौजा-कुण्डा में लगभग तीन बीघा जमीन पर बिना ले आऊट स्वीकृति की प्लाटिंग हो रही थी। जहां विप्रा की टीम पुलिस के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। कारवाई में जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे, सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल, जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जेपी गुप्त भी मौके पर मौजूद थे। वार्ड दशाश्वमेध मौजा-परमानंदपुर बिना ले आऊट स्वीकृति के कास्टकार आलोक सिंह ने चार बीघा जमीन प्लाटिंग कर रहे थे। जिसको विप्रा के अभियंता, सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार दशाश्वमेध के ही सिंधू नगर भवन संख्या डी ५७/२१ में सुनील कुमार, कृष्ण कुमार ने बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य शुरू कराया था। कुछ दिन पहले मौके पर अवर अभियंता पहुंचे थे और उन्होंने बिना मानचित्र का निर्माण कार्य कराने पर रोक लगा दिया। शिकायत के आधार पर बुधवार को जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति, अवर अभियंता अशोक कुमार त्यागी, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर थाने की पुलिस के सहयोग से भवन को सील कर दिया गया।

आज—दि0 25.07.2024

दो होटलोंके खिलाफ विप्राकी ध्वस्तीकरण कारवाई शीघ्र

आयुक्त न्यायालय और शासनने होटल मालिकोंकी अपीलको किया खारिज

विप्रा प्रशासन बुद्ध विहार कालोनी सिगरौल वार्डमें दो होटलके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कारवाई करेगा। इसके लिए होटल संचालकोंको विप्रा प्रशासनने चेतावनी दी है कि यहांपर किसी तरह के यात्रियोंकी बुकिंग न की जाय। इस सम्बन्धमें विप्राके अधिकारीने बताया कि मोहम्मद जाफर अली खां भूखण्ड संख्या १८, १९ और २० पर बनारस कोठी एवं भूखण्ड संख्या-२१, २१ए, १, २२, २३ और २४ होटल रीवर पैलेसके नामपर चलाया जा रहा है। दोनों भवनोंका व्यावसायिक मानचित्र विकास प्राधिकरणने स्वीकार नहीं किया था। इन भवनोंके विरुद्ध सुसंगत धाराओंके अन्तर्गत ध्वस्तीकरणका आदेश पास किया गया। लेकिन दोनों होटल मालिकोंने इसकी अपील आयुक्त न्यायालयने किया। इसके बाद इसकी अपील शासनमें भी की गयी। जहां पर दोनों होटल संचालकोंको राहत नहीं मिला। मौकेपर विप्राको टीम जब भी गयी तो संचालकोंने होटलमें ठहरे पर्यटकोंको उकसा रहे थे। जिसके कारण ध्वस्तीकरणकी कारवाई नहीं हो पा रही थी। इसको देखकर दोनों होटलोंके विरुद्ध २०१८ में कैण्ट थानेमें एफआईआर दर्ज करायी गयी। अनाधिकृत होटल वाराणसी महायोजना २०३१ के भू प्रयोगके विरुद्ध बनाया गया है। इसके अलावा वरुणा नदीके ग्रीन बेल्टको इसका निर्माण प्रभावित कर रहा है। किस कारण दोनों होटलोंको समनीय मानचित्र नहीं स्वीकृत किया गया। दोनों होटलोंमें विद्युत जल कनेक्शनको भी काट दिया गया है। जबकि आगंतुओंको होटल संचालक ठहराता रहा है। विप्रा प्रशासनने जनमानसकी सुरक्षाको ध्यानमें रखते हुए दोनों भवनों और होटलोंमें किसी की बुकिंग न करनेका निर्देश दिया है कि भवन परिसरको खाली कराया जाय जिससे कि प्रवर्तन कारवाई करने में रुकावट न आये। इसके अलावा विप्रा प्रशासनने जनमानससे अपील किया है कि बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेसमें बुकिंग या रुकनेकी व्यवस्था न हो।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान– 25.07.2024

बनारस कोठी, रिवर पैलेस होंगे ध्वस्त

- वरुणा किनारे के दोनों होटलों पर नोटिस चस्पा
- ग्रीन बेल्ट में निर्माण हुआ, दर्ज हो चुका है मुकदमा

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए ने वरुणा किनारे बुद्ध बिहार कॉलोनी स्थित होटल बनारस कोठी एवं होटल रिवर पैलेस को ध्वस्त करेगा। इस संबंध में बुधवार को दोनों होटलों के अधिष्ठाता मो. जाफर अली खां को नोटिस दी गई है।

वीडीए ने होटल मालिक को परिसर खाली कराने और आगे किसी प्रकार की बुकिंग न करने को कहा है। दोनों होटल में 80 से अधिक कमरे हैं। होटल के बिजली और पेयजल कनेक्शन काट दिए गए हैं। ये होटल प्लॉट संख्या 18 से 24 पर वरुणा के ग्रीन बेल्ट में बने हैं। उप्र नगर नियोजक विकास अधिनियम 1973 की धाराओं में इन होटलों को अवैध करार दिया गया है। होटल संचालक ने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया था। उनके खिलाफ पिछले दिनों वीडीए ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। वर्ष 2018 में भी वीडीए ने मुकदमा दर्ज कराया था। होटल संचालक को अदालत और शासन से राहत नहीं मिली। तब वीडीए ने छह साल से लंबित मामले में होटल संचालक को अंतिम नोटिस जारी की। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वाराणसी महायोजना 2031 के तहत भू-प्रयोग के विरुद्ध इन होटलों का निर्माण हुआ है। ये होटल वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में बने हैं। उनका शमन मानचित्र भी नहीं बनाया जा सकता है।

ज्ञानशिखा टाइम्स– 25.07.2024

वरुणा कॉरिडोर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर चर्चा फिर शुरू

वाराणसी। वरुणा कारिडोर क्षेत्र में जब वरुणा कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो डूब क्षेत्र में आनेवाले अवैध भवनों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था और उस समय

जांचोपरान्त कई भवनों को नोटिस दी गयी थी। लेकिन भवनस्वामियों द्वारा प्रयास के बाद उनके आशियाने अभी भी बरकरार हैं। अब एक बार फिर नदी के डूब क्षेत्र के 50 मीटर दायरे में वीडीए ने आठ साल पहले 762 लोगों को नोटिस थमाया था। उस दौरान हुए सर्वे में 27 ऐसे होटल और बड़े वसायिक कॉम्प्लेक्स थे जो अवैध निर्माण के दायरे में थे। वीडीए उन्हें नोटिस देकर भूल गया है। अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई।

करीब आठ साल पहले कराए गए सर्वे और सीमांकन में वीडीए, राजस्व विभाग, नगर निगम और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने 762 अवैध निर्माणों को चिह्नित किया था। उनकी सूची शासन के निर्देश पर वीडीए ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन की थी। अब वह सूची भी वेबसाइट से नदारत है। वरुणा के दोनों किनारों पर 50-50 मीटर क्षेत्र को डूब क्षेत्र घोषित करते हुए वहां ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए बोर्ड भी लगवाए गए थे।

ऑनलाइन सूची में छावनी क्षेत्र के कई बड़े होटलों के नाम थे। इनके अलावा, पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा संघ का दफ्तर, एक पूर्व जनप्रतिनिधि का घर भी था। गौरतलब है कि शुरुआती दौर में वीडीए ने एक होटल को चिह्नित कर थोड़ी बहुत कार्रवाई करने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। छावनी से सरायमोहाना आदिकेशव घाट तक तकरीबन 11 किमी लंबी वरुणा नदी के दोनों किनारों को पर्यटन के लिहाज से कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है जो रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रहा है।

न्याधीश– 25.07.2024

वाविप्रा द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड-मुगलसराय, थाना-मुगलसराय, मौजा-मवई कला के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर तथा मौजा-कुण्डा, जिला-चन्दौली में लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर, इसप्रकार कुल 8 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 24जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। इसी क्रम में वार्ड-सारनाथ, थाना-चोलापुर, मौजा-इटवा के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये मुकेश पटेल, रमेश पटेल व अन्य के द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 24 जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर, जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जे0 पी0 गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।।

राष्ट्रीय सहारा– 25.07.2024

वीडीए ने होटल पर कसा शिकंजा

वाराणसी। विकास प्राधिकारण ने सिकरौल के बुद्धविहार कालोनी, स्थित होटल रीवर पैलेस की सुविधाओं क बाधित करते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उक्त दोनों होटल के भवनो का व्यावसायिक मानचित्र/होटल का मानचित्र वीडीए से स्वीकृत नहीं है। इन भवनों के विरुद्ध वीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद होटल मालिक द्वारा वीडीए की कार्रवाई का विरोध किया जाता है। इसे देखते हुए अनधिकृत रूप से निर्मित दोनों होटलों के विद्युत व जल कनेक्शन संबंधित विभाग द्वारा काट दिये गये हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्याधीश– 25.07.2024

संक्षिप्त समाचार

उपाध्यक्ष वाविप्रा की तत्परता से आवेदिका को मिली भूखण्ड नीलामी की धनराशि वापस

वाराणसी।वा0वि0प्रा0 की लालपुर आवासीय योजना में भूखण्ड नीलामी हेतु आवेदिका (साधना पाण्डेय) द्वारा पंजीकरण धनराशी जमा कि गयी थी। भूखण्ड आवांटित न होने पर विभाग द्वारा धनराशि वापसी हेतु आवेदिका का खाता विवरण माँगा गया था तत्पश्चात आवेदिका के त्रुटिपूर्ण खाता विवरण अंकित किए जाने के कारण धनराशि दुसरे अन्य व्यक्ति के खाते में 1,50,000/ (एक लाख पचास हजार) हस्तानान्तरण हो गया था। गलत हस्तानान्तरित वाले खाताधारक द्वारा धनराशि वापसी किए जाने में अरुचि दिखाते हुए धनराशि वापसी नही किया जा रहा था, परन्तु वा0वि0प्रा0 उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग व विभाग के त्वरित प्रयासों से धनराशि की वापसी करायी गयी।आवेदिका साधना पाण्डेय द्वारा उपाध्यक्ष के त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हेतु आभार व्यक्त किया गया।

परफेक्ट मिशन– 25.07.2024

होटल बनारस कोठी एवं होटल रिवर पैलेस में होगी ध्वस्तीकरण कार्रवाई, नहीं कराये बुकिंग : वीडीए

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। बुद्ध बिहार कालोनी, वार्ड-सिकरौल में मो0 जाफर अली खाँ पुत्र स्व0 मो0 नूर खाँ व अन्य द्वारा भूखण्ड सं0-18, 19 एवं 20 पर बनारस कोठी एवं भूखण्ड संख्या-21, 21ए-1,22, 23 एवं 24 पर होटल रीवर पैलेस का निर्माण उ0प्र0 नगर नियोजक विकास अधिनियम 1973 के धारा-14 एवं 15 के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से किया गया है। उक्त दोनो भवनो का व्यावसायिक मानचित्र/होटल का मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। इन भवनों के विरूद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध अपील मा0 आयुक्त न्यायालय से निर्णित हो चुकी है एवं प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय एवं शासन से भी निर्माणकर्ता को कोई राहत नही मिली है। होटल संचालक द्वारा होटल में ठहरे पर्यटको को उकसा कर व उन्हें आगे करके प्रर्वतन की कार्यवाही का विरोध किया जाता है एवं निर्माणकर्ता के विरूद्ध विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा एक एफ0आई0आर0 वर्ष 2018 में दर्ज कराया गया था। पुन: 21 जुलाई को कैण्ट थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। उक्त अनाधिकृत होटल वाराणसी महायोजना-2031 के नियत भू-प्रयोग के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से बनाया गया है एवं वरूणा नदी के ग्रीन बेल्ट से प्रभावित होने के कारण शमनीय नहीं है।

अनाधिकृत रूप से निर्मित दोनों होटलों के विद्युत व जल कनेक्शन सम्बंधित विभाग द्वारा काँट दिये गये हैं एवं उक्त अनाधिकृत होटल का संचालन आगन्तुकों सहित जनमानस के सुरक्षा संरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है उक्त दोनों भवनों/होटलों में कोई बुकिंग न करने एवं अविलम्ब भवन परिसर खाली किये जाने का अन्तिम नोटिस भी होटल संचालक व भवन स्वामी को दिया जा चुका है।अत: जनमानस से अपील है कि होटल बनारस कोठी एवं होटल रिवर पैलेस भूखण्ड सं0-18, 19 एवं 20 पर बनारस कोठी एवं भूखण्ड संख्या-21, 21ए-1,22, 23 एवं 24, बुद्ध बिहार कालोनी, वाराणसी में कोई बुकिंग या रूकने की व्यवस्था न करें। उक्त जानकारी वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा दी गई।

परफेक्ट मिशन– 25.07.2024

वीडीए प्रवर्तन दल ने मुगलसराय में 08 बीघे अवैध प्लाटिंग का किया ध्वस्तीकरण

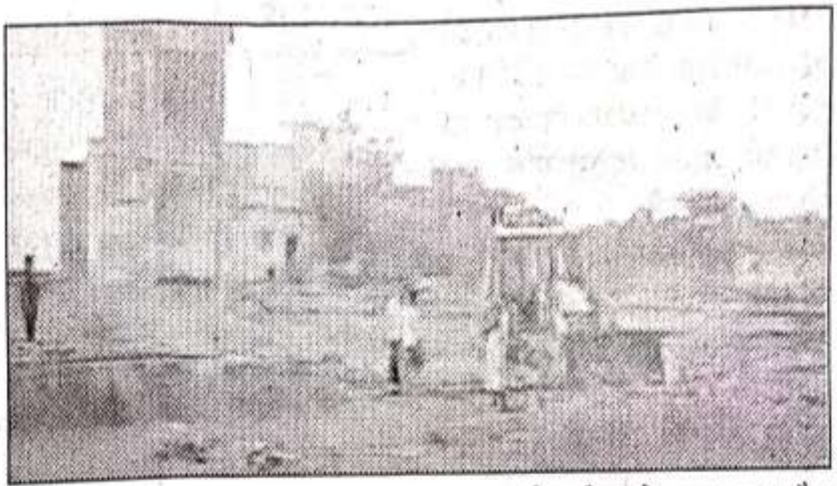

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जनपद में हो रहे अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रवर्तन दल जोन-05 ने बुधवार को मुगलसराय में अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड -मुगलसराय मौजा मवई कंला के अंतर्गत बिना लेआउट स्वीकृत कराये अज्ञात प्लाटिंग कर्ता द्वारा लगभग पांच बीघा क्षेत्रफल पर तथा मौजा कुंडा जिला चंदौली में लगभग तीन बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। उपरोक्त स्थल पर किए गए प्लाटिंग को बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दल जोन-05 ने क्षेत्रीय पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण कार्यवाही किया।

इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दुबे एवं प्रवर्तन दल के वीडीए कर्मी, सुपरवाइजर और क्षेत्रीय पुलिस बल के लोग शामिल रहे।